न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, IAS

प्रकरण संख्याः 45 / 2020

उनवान

1. विरेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. जगपालसिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

— वादीगण

बनाम

1. लालसिंह पिता अरजनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. विक्रमसिंह पिता अरजनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
3. हमीरसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
4. नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
5. भारतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
6. भवानसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
7. भोपालसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
8. कल्याणसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
9. फतेहसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
10. खुमाणसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
11. राजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
12. रघुवीरसिंह पिता बसन्तसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
13. नेपालसिंह पिता बसन्तसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
14. किशोरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
15. तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 03.3.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम सुजाजी का गड़ा पटवार हल्का खोड़न तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा राजस्थान में खाता संख्या नया 291 व पुराना 235 कुल किता 40 रकबा 4.20 हे0, खाता संख्या नया 292 व पुराना 233 कुल किता 26 रकबा 1.60 हे0, खाता संख्या नया 293 व पुराना 234 कुल किता 08 रकबा 0.75 हे0 भूमि वाके ग्राम सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण व उसका परिवार लम्बे समय से उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर लगान अदा कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि खाते की भूमि पर ऋण लेने के लिए पटवारी से सम्पर्क करने पर प्रार्थीगण को इल्म हुआ कि प्रार्थीगण के पिताजी का नाम राजस्व रकॉर्ड में त्रुटीवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा किशोरसिंह की बजाय केसरीसिंह कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण के अन्य संभी आवश्यक दस्तावेजों में पिता का नाम किशोरसिंह दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, राशन कार्ड, जोब कार्ड व बचत बैंक खाते की पासबुक समस्त जगह प्रार्थीगण के पिताजी का नाम किशोरसिंह लिखा हुआ है। किन्तु हमारा पैतृक खाते में भाईयों के साथ प्रार्थीगण के पिता का नाम केसरीसिंह लिख दिया गया है। जो गलत होकर प्रार्थीगण के पिताजी का वास्तविक नाम किशोरसिंह है। जबकि प्रार्थीगण कानुनन इन्द्राज दुरस्ती धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम करना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। भू प्रबंधक विभाग द्वारा न तो प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया, ना ही प्रार्थी के परिवार से नाम नहीं पुछकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिक भूल कर उक्त भूमि पर काबिज कर तथा उसका अमल दरामद रैवेन्यु रिकॉर्ड में भू प्रबंधन विभाग में दर्ज न कर विधिक भूल की है। जिसे नियमानुसार प्रार्थीगण के पिताजी का वास्तविक नाम जिस नाम से आधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, राशन कार्ड, जोब कार्ड व बचत बैंक खाते की पासबुक सभी जगह प्रार्थी का वास्तविक नाम किशोरसिंह ही है। जो नियमानुसार प्रार्थीगण के पिताजी का नाम दर्ज करना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना [illegible] सार कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि खाते की भूमि पर ऋण लेने के लिए पटवारी से सम्पर्क करने पर प्रार्थीगण को इल्म [illegible] कि प्र[illegible] के पिताजी का नाम राजस्व रकॉर्ड में त्रुटीवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा किशोरसिंह की बजाय केसरीसिंह कर दिया गया है। जब[illegible] के अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों में पिता का नाम किशोरसिंह दर्ज है। जिस कारण प्रार्थीगण को सम्पूर्ण कृषि सम्बन्धित [illegible] सहायता एवं खराबे की राशि प्रा[illegible] काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, इस हेतु वाद पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगदीश सिंह चारण, अभिभाषक का वकालातनामा एंव जवाब प्रस्तुत होकर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 व सेग्रीकेशन वर्ष 2075 से 2078 में खाता संख्या 291 (नया) 235 (पुराना) कुल किता 40 रकबा 4.20 हे0, खाता संख्या 292 (नया) 233 (पुराना) कुल किता 26 रक़बा 1.60 हे0, खाता संख्या 293 (नया) 234 (पुराना) कुल किता 08 रकबा 0.75 हे0 में खातेदार केसरीसिंह पिता उंकार सिंह राजपुत शामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है। खातेदार केसरी सिंह पिता उंकार सिंह राजपुत निवासी सुजाजी का गड़ा की दिनांक 02.4.2015 को मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र किशोर सिंह पिता उंकार सिंह चौहान के नाम दिनांक 19.4.2015 को जारी हुआ। खातेदार स्व0 श्री केसरी सिंह का वास्तविक नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड अनुसार किशोर सिंह है, जिनके नाम से ही मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी हुआ है। प्रार्थी के परविार के अन्य सदस्यों एंव मुखबिरान् से पूछताछ व जानकारी मुताबिक वास्तविक नाम किशोर सिंह ही होना अवगत कराया। तत्पष्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मृत्यु प्रमाण–पत्र, पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की खाता संख्या 292 (नई) 233 (पुरानी), खाता संख्या 291 (नई) 235 (पुरानी), 293 (नई) 234 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2074 तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी का जवाब आदि का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की खाता संख्या 292 (नई) 233 (पुरानी), खाता संख्या 291 (नई) 235 (पुरानी), 293 (नई) 234 (पुरानी) में दर्ज नाम केसरी सिंह के स्थान पर किशोर सिंह किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की खाता संख्या 292 (नई) 233 (पुरानी), खाता संख्या 291 (नई) 235 (पुरानी), 293 (नई) 234 (पुरानी) में दर्ज नाम केसरी सिंह के स्थान पर किशोर सिंह बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की खाता संख्या 292 (नई) 233 (पुरानी), खाता संख्या 291 (नई) 235 (पुरानी), 293 (नई) 234 (पुरानी) में दर्ज नाम केसरी सिंह के स्थान पर किशोर सिंह बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 45/2020

उनवान

1. विरेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. जगपालसिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

–: वादीगण

बनाम

1. लालसिंह पिता अरजनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. विक्रमसिंह पिता अरजनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
3. हमीरसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
4. नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
5. भारतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
6. भवानसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
7. भोपालसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
8. कल्याणसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
9. फतेहसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
10. खुमाणसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
11. राजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
12. रघुवीरसिंह पिता बसन्तसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
13. नेपालसिंह पिता बसन्तसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
14. किशोरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सुजाजी का गड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
15. तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 03.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की खाता संख्या 292 (नई) 233 (पुरानी), खाता संख्या 291 (नई) 235 (पुरानी), 293 (नई) 234 (पुरानी) में दर्ज नाम केसरी सिंह के स्थान पर किशोर सिंह बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 03.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
			शून्य
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अर[illegible]	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतना[illegible]	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा [illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय [illegible]	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner